न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :— 137/2019 निर्णय दिनांक 10.7.19

उनवान

1. श्योराम पुत्र काना जाति माली निवासी कोटखावदा, तहसील कोटखावदा जयपुर राजस्थान।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. लाली पत्नी रामू
2. हनुमान पुत्र रामू
3. महादेव पुत्र सुवा
4. पून्या पुत्र गोपी
5. श्रवण पुत्र सुवा

   समस्त जाति माली निवासी कोटखावदा, तहसील कोटखावदा जयपुर।

6. अरूणा पत्नी लालचंद जाति जैन निवासी कोटखावदा, तहसील कोटखावदा जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाने बाबत।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:53:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ग्रम [illegible] कोटखावदा के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी [illegible] 3306, 3348/1, 3289, 3330, 3331/1, 3333/1, 3338/1, 3339, 3348 कुल किता 10 रकबा [illegible] भूमि वाके ग्राम कोटखावदा उत्तर व दक्षिण तहसील कोटखावदा में स्थित है जो प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित व दर्ज है। उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थी ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार पैश किया गया कि प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2018 को करवाया जा चुका है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थी को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया। वकील अप्रार्थी ने पत्थरगढी की जाने में आपत्ति पेश की कहा कि इस समय पत्थरगढी नही की जा सकती है।

वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो प्रार्थिया की भूमि पत्थर गढी करवाया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 3327, 1106, 1348/1, 3289, 3330, 3331/1, 3333/1, 3338/1, 3339, 3348 कुल किता 10 रकबा 2.40 है0 भूमि वाके ग्राम कोटखावदा उत्तर व दक्षिण तहसील कोटखावदा में स्थित है की पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद पत्थरबढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:53:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड, अधिकारी
10.7.19
(एस0डी0एम0) चाकसू